उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 386/2009

बबन मिश्रा .....वादी।

बनाम्

अंजनी कुमार दुबे वगै0 .....प्रतिवादीगण।

आदेश

15.01.2026 उभय पक्ष की पैरवी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 13.01.2026 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 दफा सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये यह कथन करते है कि प्रतिवादी सं0 01 ने एक कित्ता वसीका केबाला प्रतिवादी सं0 06 के पक्ष में दौरान मुकदमा दिनांक 30.06.2016 को तहरीर कर निबंधित किया है जिससे अर्जी में मरम्मत करना आवश्यक प्रतीत होता है। संशोधन आवेदन महज औपचारिक प्रकृति का है जिससे वाद की प्रकृति एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुरोध करते है कि वादी के वाद में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर आपत्ति दर्ज किया गया है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं0 01 ने प्रतिवादी सं0 06 को एक कित्ता केबाला तहरीर किया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर आपत्ति दर्ज किये है। वादी का संशोधन आवेदन महज औपचारिक प्रकृति का है जिससे मुकदमा का प्रकृति नहीं बदलता है। अतः वादी के तरफ से दिनांक 13.01.2026 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित में 500/– रूपए के खर्च के साथ स्वीकृत किया जाता है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को निदेर्शित किया जाता है कि कार्यालय लिपिक के समक्ष आवदेन के अनुसार अर्जी में संशोधन करें। कार्यालय सिरेस्तेदार प्रतिवेदन की मांग करें। प्रतिवादी चाहे तो उक्त संशोधन के आलोक में अपना अतिरिक्त बयान् तहरीरी दाखिल कर सकते है।

दिनांक– 03.02.2026 वास्ते वादी साक्ष्य हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)